

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही रोकी जाती है। अभियुक्त को उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0-01, मुजफ्फरनगर।